बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाषः 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेलः secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 /   / आ0प्र0   पटना–23, दिनांक–

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / वरीय आरक्षी अधीक्षक / आरक्षी अधीक्षक,
बिहार।

विषय :– **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में संक्रमण के रोकथाम एवं उससे बचाव के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों से लौटने वाले राज्य के श्रमिकों व अन्य लोगों हेतु अनुमंडल स्तरीय क्वॉरंटीन कैम्प के संचालन के संबंध में।**

महाशय,

स्मरण होगा कि गत वर्ष 2020 में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों व अन्य लोगों के लिए त्रि–स्तरीय (प्रखण्ड / पंचायत / ग्राम) क्वॉरंटीन कैम्पों का संचालन आपके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। आप अवगत है कि वर्त्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की दूसरी लहर व्याप्त है, जिससे संक्रमण के फैलाव में प्रतिदिन अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही, अन्य राज्यों में संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लागू लॉकडाउन, नाईट कर्फ्यू एवं विभिन्न प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य के श्रमिक एवं अन्य लोगों का राज्य में आगमन तीव्र गति से हो रहा है, जिसमें से कई लोग जाँचोपरान्त संक्रमित भी पाए जा रहे हैं। वैसे संक्रमितों के आईसोलेशन के लिए सरकार के द्वारा अलग से व्यवस्था की गई है तथा वैसे लोग जो संक्रमित नहीं हैं, उन्हें भी होम आईसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे लोग, जो संक्रमित नहीं हैं, किन्तु पूर्ण जाँचोपरान्त ही घर जाना चाहते है अथवा किसी अन्य कारणों से सीधे घर जाने में परेशानी हो, उनके रहने की व्यवस्था अनुमंडल स्तर पर चिन्हित क्वॉरंटीन कैम्प में होगी। यह व्यवस्था कोरोना जाँच के परिणाम आने तक अथवा अधिकतम चार दिनों तक रहेगी। अतः इसके लिए राज्य के सभी अनुमंडलों में बड़े भवनों को चिन्हित कर लिया जाए तथा आगन्तुकों के भोजन, आवासन, सुरक्षा, निगरानी एवं स्वास्थ्य जाँच के संबंध में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :–

(1) अनुमंडल क्वॉरंटीन कैम्प का संचालन :

(क) अनुमंडल स्तरीय क्वॉरंटीन कैम्पों का चयन इस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक कैम्प में लोगों को physical distancing के साथ रखा जा सके। इस हेतु अनुमंडल स्थित किसी बड़े भवन / सरकारी शिक्षण संस्थान आदि का चयन किया जा सकता है। क्वॉरंटीन कैम्प की व्यवस्था की देख–रेख के लिए एक प्रभारी पदाधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु आवश्यक संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। क्वॉरंटीन कैम्प के प्रभारी अनुमंडल स्तरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी अथवा कोई अन्य समकक्षी पदाधिकारी रहेंगे जो physical distancing एवं अन्य आवश्यक सावधानी के साथ सभी कार्य

सम्पादित करेंगे। प्रत्येक अनुमंडल क्वॉरंटीन कैम्प में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहाँ बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं अन्य लोगों का पंजीकरण कराया जाएगा तथा सभी लोगों को पंजीकरण के दौरान **मास्क (Mask)** भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। **कैम्प में पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाईजर एवं हैंडवास (Liquid/Soap) की व्यवस्था की जाएगी।**

(ख) उक्त क्वॉरंटीन कैम्पों में बिजली, पानी, आवासन, भोजन एवं चिकित्सीय सुविधा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। क्वॉरंटीन कैम्पों की निगरानी हेतु CCTV लगवाया जाए एवं क्वॉरंटीन कैम्प की बैरिकेडिंग भी करवायी जाए। साथ ही, वहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्र (PA System) की व्यवस्था भी की जाए जिससे समय–समय पर लोगों को आवश्यक सावधानियों एवं नियमों की जानकारी दी जाएगी।

(ग) अनुमंडल क्वॉरंटीन कैम्प में पानी एवं शौचालय की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिजली की व्यवस्था ऊर्जा विभाग के माध्यम से की जाएगी। चिकित्सीय सुविधा अनुमंडल स्थित अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) क्वॉरंटीन कैम्प में भोजन तैयार करने एवं परोसने में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भोजन बनाने, परोसने एवं बर्त्तन धोने आदि सभी जगहों पर आवश्यकतानुसार हैंड सैनिटाईजर एवं हैंडवास (Liquid/Soap) की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, physical distancing का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा। तले हुए भोजन की आपूर्ति बिल्कुल नहीं की जाएगी। यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। खाने–खिलाने के लिए आवश्यकतानुसार समय को stagger करते हुए पालीवार किया जाए तथा बैठने हेतु physical distancing norms का कठोरता पूर्वक पालन हो। क्वॉरंटीन कैम्प में संलग्न सभी पदाधिकारी/कर्मचारीगण भी अनिवार्य रूप से मास्क तथा सैनिटाईजर का उपयोग करेंगे।

(ड़) व्यय हेतु बजट शीर्ष का निर्धारणः–

अनुमंडल क्वॉरंटीन कैम्पों में की जाने वाली व्यवस्था पर होने वाले व्यय की राशि का भुगतान निम्नलिखित बजट शीर्षों के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से किया जाएगाः–

क्र०	मद	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	विषय शीर्ष
01	नास्ता, भोजन एवं दूध	2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति	21 03–आहार/पथ्य
02	पेय जल	2245–02–102–0001–पेयजल की आपूर्ति	35 01–नगद/वस्तु
03	अस्थाई शौचालय, जलापूर्ति की मरम्मति/निर्माण	2245–02–109–0001–क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति एवं प्रत्यास्थापन	27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मत
04	सैनेटाईजर, मास्क, हैण्डवाश, जेनरेटर, पंडाल, अन्य व्यय	2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण	35 01–नगद/वस्तु

(2) क्वॉरंटीन कैम्प की निगरानी एवं अनुश्रवण :

प्रत्येक क्वॉरंटीन कैम्प में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा संबंधित अनुमंडलाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन क्वॉरंटीन कैम्प के नोडल पदाधिकारी होंगे जो क्वॉरंटीन कैम्प की व्यवस्था एवं उसकी निगरानी के लिए जिम्मेवार होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि **क्वॉरंटीन में रह रहे लोग किसी भी स्थिति में क्वॉरंटीन अवधि के पूर्व कैम्प से बाहर नहीं जाएँ।** चिकित्सा सुविधा के लिए अनुमंडल स्तरीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला पदाधिकारी एवं उनके द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधीन अनुमंडल क्वॉरंटीन कैम्प का भ्रमण करेंगे तथा संबंधित अनुमंडलाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देंगे। जिला पदाधिकारी क्वॉरंटीन कैम्प के प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर संधारित करेंगे तथा इसे विभाग को उपलब्ध कराएँगे, जिससे विभाग के द्वारा सीधे उनसे सम्पर्क कर वस्तुस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके।

(3) COVID-19 संक्रमण की पहचान हेतु जाँच :

क्वॉरंटीन कैम्पों में आए श्रमिकों की चिकित्सीय जाँच के क्रम में यदि किसी व्यक्ति में COVID-19 संक्रमण का लक्षण पाया जाता है तो उसे Isolation Centre में भेज दिया जाएगा एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्रवाई अतिशीघ्र सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिदिन आपदा प्रबंधन विभाग को प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाए।

नोटः–कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के वर्त्तमान परिदृश्य में physical distancing, मास्क एवं अन्य स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा समय–समय पर दिए गए निदेशों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए उपर्युक्त सभी कार्य सम्पादित किए जाएँ।
अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–09/2020/ /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–09/2020/ /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 /   / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 / 1660 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 22/04/2021
प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21.4.2021
प्रधान सचिव